MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY, UDAIPUR

प. मप्रकृप्रौविवि / नियुक्ति / 2006 / 12055 दिनॉकः 11 / 13 नवम्बर 2006

विज्ञप्ति

संदर्भः विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या 5 / 2005 दिनांक 24.12.2005

इस विश्वविद्यालय के उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में जिन अभ्यर्थियों ने विभिन्न पदों के लियें आवेदन फार्म प्रस्तुत कियें है, उन समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त विभाग / नियम / 2006 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा नियुक्ति सेवा नियमों में संशोधन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की मद संख्या एमपीयूएटी / प्र.म.–15 / 2006–01 दिनांक 07.06.2006 की बैठक के निर्णयानुसार इन संशोधित नियमों को लागू किया जा चुका है। इन नियमों के अनुसार रिक्त पदों पर नई नियुक्ति नियमित वेतनमान में नहीं होकर राजस्थान सरकार द्वारा नियत दर से मासिक समेकित पारिश्रमिक पर (संविदा पर) परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लियें की जावेगी। परीवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर ही प्रशिक्षणार्थी को नियमित वेतन श्रंखला प्रदान की जावेगी। परीवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी प्रकार की वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी और न हीं यह अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य होगी।

उपरोक्त संशोधित नियम यदि किसी अभ्यर्थी को स्वीकार न हो तो वह अपना लिखित प्रार्थना–पत्र इस विश्वविद्यालय को दिनांक 24.11.2006 तक प्रस्तुत कर अपना प्रार्थना–पुत्र पुनः प्राप्त कर सकता है। ऐसें मामले में उसके द्वारा प्रदत्त फीस वापस लौटा दी जावेगी। अगर दिनांक 24.11.2006 तक प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ तो इन नियमों के अधीन संशोधित नियमों के तहत चयन हेतु अभ्यर्थी की स्वीकृती मानी जावेगी।

कुलसचिव